

प्रेषक,

शिव प्रकाश गण्ठा
संयुक्त सचिव,
ठांगो शासन ।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद
भैंडा भैंड-2, समाजाय भैंड
प्रीति बिहार, नई दिल्ली ।

शिक्षा ॥ ७ ॥ अनुबान

तिथि: दिनांक: १२ मई, 2005

विषय- बुड़बाड़न प्लॉट परिषद स्कूल अनुपशहर रोड, अलीगढ़ की सीधी परिषद सतीषी ००५० मई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने छा निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित विवालय को/नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार के निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

- १। विधालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- २। विधालय की प्रबंध तमिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- ३। विधालय में कम से कम १० प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी वर्षों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे ००५०मात्र शिक्षा परिषद/वैतिक शिक्षा परिषद द्वारा तथा नियमित विधालयों में विभिन्न क्षात्रों के लिए निर्धारित शूल से अधिक शूल नहीं लिया जायेगा ।
- ४। संत्या द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विधालय मात्रापरिषद अथवा वैतिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विधालय की संबद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/काँड़िल पर दि इन्डियन स्कूल टर्टफिले इन्डियन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा क्षर्ते उक्त केन्द्रीय परिषदों की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से ००५०माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः तमाप्त हो जायेगा ।
- ५। संत्या के हैंडिकर्पर्स एवं शिक्षिकाएँ वैतनमानों तथा अन्य बत्तों से कम वैतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे ।
- ६। कर्मचारियों की सेवा शर्ते क्षायी जायेगी और उन्हें लहायता प्राप्त असामिय उच्यतार माध्यमिक विधालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा-निवृत्ति का नाम उपलब्ध कराये जायेंगे ।

- १७। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे तंत्या उनका पालन करेगी ।
- १८। विधानय का रिकार्ड निर्धारित प्रबन्ध/वंचिकाओं में रखा जाएगा ।
- १९। उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।

उक्त प्रतिबंधों का पालन करना तंत्या के लिए अनिवार्य होगा होना और यदि किसी समय वह पाया जाता है कि तंत्या द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की घूँट या विप्रिता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापरित प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

॥ शिव प्रकाश गुप्त ॥
तंयुक्त तचिव ।

पूर्तं एवं दिनांक तदैव ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश ।
२. मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, आगरा ।
३. किंवा विधानय निरीक्षक, अलीगढ़ ।
४. निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विधालय, उत्तराखण्ड ।
५. प्रबंधक, बुड़ बाड़न फ्लोरेट परिकल स्कूल, अनूपशहर रोड, अलीगढ़ ।
६. गार्ड बुक ।

आशा से,

॥ शिव प्रकाश गुप्त ॥
तंयुक्त तचिव ।